

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक-44/कार्यविभाजन/सां.अनु./2025 भिण्ड, दिनांक-25/09/2025

कार्य-विभाजन पत्रक 2025

मैं के. एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड इस स्थापना पर न्यायाधीशों के पदस्थापनाओं को दृष्टिगत रखते हुये मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1958 की धारा 7(2) व 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र खण्ड भिण्ड के लिये पूर्व में प्रसारित सभी आदेशों को निरस्त किया जाकर इस जिला स्थापना में कार्यरत समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के मध्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025 तैयार कर निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ :-

भाग-1

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	संपूर्ण सत्र खण्ड भिण्ड एवं सिविल जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, अटोर, जिला भिण्ड का क्षेत्राधिकार	आपराधिक प्रकरण :- - सत्र प्रकरण :- सत्र खण्ड, भिण्ड (रौन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) - दाण्डिक अपीलें :- समस्त। (रौन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) - दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका :- समस्त। (रौन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित) - जमानत (प्रतिभूति) आवेदन पत्र :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। (अन्यत्र उल्लेखित के अतिरिक्त) - प्रकरणों के अंतरण/प्रत्याहरण :- धारा 448 एवं 449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 380 के अंतर्गत प्रकरण - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ग) के प्रकरण एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त आपराधिक प्रकरण जो केवल सत्र न्यायाधीश द्वारा ही विचारण योग्य हैं। - किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष प्रकरण। - विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ए/1416 दिनांक 02.06.2010 के अनुसार औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख) धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रस्तुत प्रकरण। - अन्य विचारणीय ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से नहीं है। - ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ग्राम न्यायालय भिण्ड व लहार में निराकृत प्रकरणों से संबंधित अपीलें। व्यवहार प्रकरण :- - वर्तमान में संचालित एवं रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के आदेश से उद्भूत विविध सिविल अपीलें अथवा पारित डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीलें। - तहसील भिण्ड एवं अटोर से संबंधित एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहारवाद <u>मोटरयान अधिनियम 1988 :-</u> तहसील भिण्ड व अटोर से संबंधित मोटर दुर्घटना से प्रस्तुत समस्त बलेग प्रकरण व उद्भूत समस्त विविध कार्यवाहियां।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक डी/953 दिनांक 21.02.2023 के पालन में।

			4. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत तहसील मिण्ड से संबंधित समस्त आवेदन। 5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन-पत्र। 6. गाड़ा नियंत्रण अधिकारी, मिण्ड के आदेश के विरुद्ध अपीलें। 7. ग.प्र.लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेश की अपीलें। 8. ग.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत मिण्ड तहसील की समस्त चुनाव याचिकाएँ। 9. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 73 के अंतर्गत अपील। 10. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन-पत्र जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 11. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुये राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिवक्ता के परामर्श से जिला मिण्ड के लिये अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संधिदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय घोषित किया गया है। "Notification of the Government of M.P. F.No 4779/22/21-B(1)/2022 Bhopal Dated 15-12-2022 issued u/s 20B of Specific Relief Act, 1963 (No. 47 of 1963) in respect of designating the Courts of District Judge(s) to exercise Jurisdiction and try suits in respect of contracts relating to infrastructure project" 12. अन्य समस्त विशेष एवं स्थानीय अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हों। 13. कंपनी अधिनियम के तहत विचारणीय प्रकरण। 14. प्रोवेट एवं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रकरण। 15. आदेश 21 नियम 08 सी.पी.सी. के तहत बाहर न्यायालय से आने वाले समस्त निष्पादन प्रकरण। 16. अन्य विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण, अपील व आवेदन पत्र जिनमें प्रधान जिला न्यायाधीश को मूल रूप से सुनवाई का विशेषाधिकार प्राप्त है।
2	विशेष न्यायाधीश अधिसूचित अंतर्गत धारा 14 अ.जा. एवं. ज. जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मिण्ड	संपूर्ण जिला मिण्ड	आपराधिक 1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र। (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर) 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक-36 सन्-1981) के अंतर्गत पंजीबद्ध दण्डनीय अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फ.क्र-1-7/81/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक-03 जनवरी 2019 द्वारा अधिसूचित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण। 4. विविध न्यायिक प्रकरण (आपराधिक) जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। सिविल 5. प्रधान जिला न्यायाधीश, मिण्ड द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध सिविल प्रकरण।
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड	सत्र खण्ड, मिण्ड एवं सिविल जिला मिण्ड की तहसील मिण्ड एवं अंदर	आपराधिक 1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। (मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संवालिप्त विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर) 2. म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियाँ।

			3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण। 4. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील गिण्ड एवं अटेर से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (कमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक बी/5194/111-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019) <u>सिविल</u> 5. तहसील गिण्ड एवं अटेर से संबंधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद, आवेदन पत्र एवं आदेश/अधिनिर्णय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण। 6. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत तहसील अटेर की समस्त बुनाव याचिकायें। 7. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) <u>भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013</u> के अन्तर्गत तहसील अटेर से संबंधित समस्त आवेदन। 8. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में वर्णित तथा <u>पारिवारिक विवाद संबंधी सिविल प्रकरणों</u> की सुनवाई हेतु <u>तहसील अटेर</u> से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें। 10. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व आपराधिक) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 11. समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां। 12. प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गिण्ड एवं सप्तम जिला न्यायाधीश गिण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय से उद्भूत विविध सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन व अन्य विविध कार्यवाहियां। 13. म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 14. म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें। 15. शोध क्षमता (इनसोलवेन्सी) अधिनियम के अन्तर्गत 10 लाख मूल्य से अधिक के प्रकरण। 16. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 17. तहसील गिण्ड एवं अटेर से संबंधित गार्जियन एवं वार्ड्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिण्ड	सत्र खण्ड, गिण्ड एवं सिविल जिला गिण्ड	रिक्त न्यायालय
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिण्ड	सत्र खण्ड, गिण्ड एवं सिविल जिला गिण्ड की तहसील गिण्ड, अटेर, रौन एवं मिहोना जिला गिण्ड का क्षेत्राधिकार	<u>आपराधिक</u> 1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक-सी/790/तीन-6-4/81, जबलपुर दिनांक 05.02.2025 के अनुसार "मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत राजस्व जिला गिण्ड की तहसील अटेर, गोरगी एवं मेहगांव क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र तथा संबंधित विविध कार्यवाहियां।

			3. तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019) <u>सिविल</u> 4. तहसील रौन एवं मिहोना से संबंधित एक करोड़ एक रुपये से अधिक वाद मूल्यांकन के समस्त व्यवहार वाद। 5. वर्तमान में संचालित एवं रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय से तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्राधिकार से संबंधित नियमित एवं व्यवहार वाद अपील। 6. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत मृत्यु एवं दुर्घटना में आई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां।
6	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिण्ड	सत्र खण्ड गिण्ड	रिक्त न्यायालय
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिण्ड	सत्र खण्ड, गिण्ड एवं सिविल जिला गिण्ड की तहसील गिण्ड, अट्टर जिला गिण्ड का क्षेत्राधिकार	<u>आपराधिक</u> 1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-बी/1949/तीन-6-3/89, जबलपुर दिनांक 23.04.2025 द्वारा एन. डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है, उनसे संबंधित रिमाण्ड व जमानत आवेदन तथा उनसे व्युत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। 3. विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 11.03.2016 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक बी/1292 दिनांक 29.03.2016 के अनुसार गिण्ड, अट्टर, मेहगांव एवं गोरमी तहसील क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन-पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। 3. विधि एवं विधायी कार्यविभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 03 मई 2016 के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अभिकरण द्वारा अन्वेषित अपराधों का विचारण। <u>सिविल</u> 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें। 5. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व आपराधिक) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
8	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिण्ड	सत्र खण्ड गिण्ड	रिक्त न्यायालय
9	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिण्ड	सत्र खण्ड, गिण्ड	<u>आपराधिक</u> 1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जिले की तहसील गिण्ड/अट्टर/रौन/मिहोना क्षेत्र के अपराधों में प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र से संबंधित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न एम.जे.सी. व जमानत आवेदन पत्र। 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे मामले जिनमें पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।

			4. तहसील गिण्ड/अटेर/रौन/मिहोना क्षेत्र से संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार व अन्य संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से उद्भूत सत्र प्रकरण। 5. विविध न्यायिक प्रकरण (आपराधिक) जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो। 6. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/790/तीन-6-4/81, जबलपुर दिनांक 05.02.2025 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राजस्व जिला गिण्ड की तहसील गिण्ड, रौन और मिहोना क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र तथा संबंधित विविध कार्यवाहियां।
--	--	--	--

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड गिण्ड

10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण। 2. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 3. ग0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के तहसील गिण्ड व अटेर लघुवाद प्रकरण। 4. तहसील गिण्ड व अटेर क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 5. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर प्राप्त कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील गिण्ड व अटेर क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 7. उक्त न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर	1. तहसील गिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पांच लाख एक रुपए से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर	रिक्त न्यायालय
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड के तृतीय अति. न्यायाधीश गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर	रिक्त न्यायालय
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गिण्ड के न्यायालय के वतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश गिण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड एवं अटेर व जनपद गिण्ड	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो। 3. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 से संबंधित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरण। 4. ग्राम न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गिण्ड	राजस्व तहसील गिण्ड/अटेर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
16	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
17	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
18	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर प्राप्त कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड मिण्ड	मिण्ड	माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के मेमो कमांक-डी/2387/तीन-6-4/72 जबलपुर दिनांक-01.04.2019 में संशोधन करते हुये अधिसूचित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मिण्ड सप्ताह में प्रतिदिन किशोर न्याय बोर्ड को संचालित करेगा।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रुपए से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के नवम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	राजस्व तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका क्रमशः 3 लगायत 5 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

[illegible]

17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
18	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
19	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
20	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के रूप में अधिसूचित		
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	रिक्त न्यायालय		

टिप्पणी :-

1. जिले में जो न्यायालय पूर्व में कार्यरत होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं उनके द्वारा पारित आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल वादों में पारित निर्णय, डिक्री या आदेश तथा मोटर दुर्घटना दावों में पारित अधिनिर्णय के संबंध में प्रस्तुत प्रवर्तन मामले एवं उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय या अन्य किसी अपीलीय न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका पालन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा। साथ ही जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय पूर्व में कार्यरत होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं, उनके द्वारा आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रकरण का विचारण एवं अन्य संबंधित कार्यवाही, रिक्त न्यायालय के प्रथम प्रभार के न्यायालय द्वारा की जावेगी।

रिक्त न्यायालय का नाम

न्यायालय का नाम

क	रिक्त न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) भिण्ड, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रेक न्यायालय) भिण्ड एवं सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौहद स्थान भिण्ड (फास्टट्रेक न्यायालय) के द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं साम्प्रतिक प्रकरण।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
नोट :- वर्तमान में लागू कार्य विभाजन पत्रक 2025 से आगामी नवीन कार्य विभाजन पत्रक जारी होने तक यदि मुख्यालय पर कोई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय रिक्त हो जाता है, तो उसका प्रभार कॉलम क. 1 अनुसार ही रहेगा।			
2	भिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	
3	भिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड	

2 विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) के रिक्त होने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा किया जावेगा एवं मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा एवं सत्र खण्ड पर भी कोई भी वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उनका प्रभार मुख्यालय में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड पर रहेगा।

3 विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) भिण्ड के रिक्त होने की स्थिति में एन.डी.पी.एस. एक्ट, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/2262/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा तथा मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा।

4. जिला स्थापना भिण्ड में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के पश्चात भिण्ड मुख्यालय पर जो भी विशेष न्यायालय (पॉक्सो) संचालित रही थी। उक्त सभी पॉक्सो न्यायालय से संबंधित यदि कोई भी आवश्यक कार्यवाही प्राप्त होती है, तो वर्तमान में संचालित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) द्वारा की जायेगी।

5. मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठारीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री मनोज कुमार तिवारी (कनिष्ठ) विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक 1 भिण्ड	श्री हिमांशु कौशल विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक 2 भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
श्री हिमांशु कौशल विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक 2 भिण्ड	श्री मनोज कुमार तिवारी (कनिष्ठ) विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक 1 भिण्ड	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

6. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई निम्नानुसार रहेगी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
--------------------------------	---	---	--

7 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में नियमानुसार रहेगा—

विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---------------------------------	---	---	---

8 विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) भिण्ड एवं सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड में सिविल कार्य शेष नहीं रहा, परन्तु सुविधा की दृष्टि से इन न्यायालय में एम.ए.सी.सी. केसेस् से संबंधित क्लेम केस के भुगतान की कार्यवाही इन्हीं न्यायालयों द्वारा की जायेगी।

9. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर होने या शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी भी कारणवश उपस्थित न हो पाने की दशा में जमानत/प्रतिभूति आवेदनों की सुनवाई निम्नानुसार की जायेगी :-

- किसी अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 किन्ही विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो अथवा निराकरण हेतु लंबित हो, तो ऐसी दशा में पश्चात्पूर्व की दशा में उसी अपराध क्रमांक में उस अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदनपत्र उन्ही विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
- यदि पूर्ववर्ती आवेदनपत्र विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में निराकृत किये गये हो, तो उससे संबंधित अन्य सहअभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र उन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत का (नवीनतम) जमानत आवेदनपत्र संबंधित अपराध क्रमांक के सहअभियुक्त का निराकृत किया हो अथवा उक्त न्यायालय में लंबित हो।
- यदि पूर्ववर्ती जमानत आवेदनपत्र इसी पदस्थापना पर किन्ही अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में, सहअभियुक्त के या प्रथम जमानत आवेदनपत्र निराकृत किये गये हो तथा उनकी पदस्थापना इसी स्थापना पर अन्य विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में होने पर पश्चात्पूर्व जमानत आवेदनपत्र उनके द्वारा निराकरण किये जावेंगे।
- सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन-पत्र जो कि पॉक्सो अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, विद्युत अधिनियम, आर्थिक अपराध, अ.जा./अ.ज.जा., (ओ.एस.डब्ल्यू.) मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम एवं अन्य अधिसूचित न्यायालयों/विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, तो उक्त प्रतिभूति आवेदन-पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों को स्वमेव अंतरित होना माने जावेंगे। यद्यपि इस बावत् कार्यविभाजन पत्रक में आदेश जारी है।
- यदि कोई प्रतिभूति आवेदन-पत्र विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का है और वह प्रतिभूति आवेदन-पत्र किसी अपर सत्र न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में निराकरण हेतु भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उक्त प्रतिभूति आवेदन-पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

- vi. यदि जमानत आवेदन पत्र से संबंधित कोई विशेष/सत्र प्रकरण किसी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित/निराकृत हुआ हो अथवा जमानत आवेदनपत्र अंतरित होने के पश्चात यदि जमानत आवेदन पत्र भेजे गये संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस सत्र न्यायालय को प्राप्त होता है कि संबंधित सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में लंबित है/निराकृत हुआ है, चाहे पूर्ववर्तीय या सह-अभियुक्त के आवेदन किसी अन्य न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो, तो उक्त जमानत आवेदनपत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण लंबित है या निराकृत हुआ है, उक्त न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।
- vii. कण्डिका क्रमांक 1 से 6 की अवस्था के अनुसार पश्चात् शेष बचे प्रथम प्रतिगृति आवेदन-पत्र कार्यविभाजन पत्रक 2025 की प्रभार के अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड को निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
- viii. इस अवस्था पर स्पष्ट किया जाता है कि किसी जानकारी के अभाव में अथवा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की उत्पन्न दशा में संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ऐसे आवेदनपत्र, सत्र न्यायालय को वापिस करेंगे तथा ऐसी आवेदनपत्र पूर्ववर्ती आवेदनपत्र को निराकृत अथवा लंबित रहने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।
- ix. केसडायरी/अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदनपत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
10. यह कार्य विभाजन पत्रक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।
11. यह कार्य विभाजन पत्रक, 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा।



(के.एस. बारिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)

तहसील गोहद

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड	सत्र खण्ड, तहसील गोहद जिला भिण्ड	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. तहसील गोहद क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील गोहद क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 3. तहसील गोहद से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. आरक्षी केन्द्र गोहद, मालनपुर एवं गोहद चौराहा, मौ एवं एण्डोरी से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019) 5. आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा एवं मौ से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपार्पित सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 6. तहसील गोहद से उद्भूत एक करोड़ से अधिक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। 7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ। 8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद जिला भिण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद के न्यायालय के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपील। 9. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के आदेश और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपील सिविल अपील और विविध सिविल अपील। 10. म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 12. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण। 13. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 14. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र। 15 (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तहसील गोहद से संबंधित समस्त आवेदन। 16. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 17. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।

तहसील गोहद एवं मौ

POLICE STATIONS ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL	
GOHAD	GOHAD
	GOHAD CHAURAH
	MALANPUR
MOU	MOU
	ANDORI

2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद, जिला मिण्ड	सत्र खण्ड गोहद तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
3	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला मिण्ड	सत्र खण्ड मिण्ड तहसील गोहद व मौ	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2830/तीन-6-4/81 भाग-सात जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राजरव जिला मिण्ड की तहसील गोहद क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केंद्र गोहद, एण्डोरी एवं मालनपुर से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपापेक्षित सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 4. तहसील मौ से उद्भूत एक करोड़ से अधिक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। 5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालयों के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें। 6. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के आदेश और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपील सिविल अपील और विविध सिविल अपील। 7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां। 8. भूमि अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 18, 30 एवं 31 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. गांडा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें। 10. म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें। 11. म.प्र.विनिर्दिष्ट ग्रष्ट आवरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां। 12. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1957 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें। 13. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 14. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र। 15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 16. विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय एवं रिक्त समस्त जिला न्यायाधीश गोहद के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों व उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही व विविध कार्यवाही एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही एवं विविध कार्यवाही। 17. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।
4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मौ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 2. पांच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक के समस्त सिविल वाद एवं आवेदन पत्र। 3. म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 4. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 5. दिवालिया अधिनियम, के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।

POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL	
GOHAD	GOHAD
	GOHAD CHAURAHA
	MALANPUR
MOU	MOU
	ANDORI

			6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 7. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों । 8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
5	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	तहसील गोहद व मौ	रिक्त न्यायालय
6	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	तहसील गोहद व मौ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र । 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 3. तहसील न्यायालय गोहद के रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपील न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही/विविध कार्यवाही आवश्यक कार्यो का निराकरण ।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मौ	रिक्त न्यायालय
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मौ	1. तहसील न्यायालय गोहद क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन । 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 4. तहसील न्यायालय गोहद के वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहिया/विविध कार्यवाहियां ।
7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मौ	रिक्त न्यायालय
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	तहसील गोहद व मौ	रिक्त न्यायालय

अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

क	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	रिक्त न्यायालय		
4	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव
5	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	रिक्त न्यायालय		

6	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद		रिक्त न्यायालय	
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद		रिक्त न्यायालय	
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद		रिक्त न्यायालय	

मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री अफजल खान, विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
--	--	-------------------------------------	--

विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई निम्नानुसार रहेगी।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	--	-------------------------------------	---

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा—

विशेष न्यायाधीश (प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश) गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
---	--	-------------------------------------	---

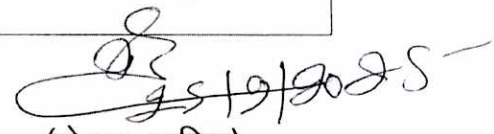
तहसील न्यायालय गोहद में संचालित अपर सत्र न्यायालय, जो पूर्व में कार्यरत होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं, उनके समस्त आपराधिक प्रकरणों से संबंधित सभी कार्यवाहियां तथा उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी अपीलीय न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उसका पालन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा। साथ ही जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय पूर्व में कार्यरत होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं, उनके द्वारा आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रकरण का विचारण एवं अन्य संबंधित कार्यवाही, रिक्त न्यायालय के प्रथम प्रभार के न्यायालय द्वारा की जावेगी।

रिक्त न्यायालय का नाम

न्यायालय का नाम

रिक्त न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद तथा अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समस्त रिक्त न्यायालय	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव
तहसील न्यायालय गोहद के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद		
तहसील न्यायालय गोहद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद		

नोट :- यह कार्य विभाजन पत्रक, 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा।



(के.एस. बारिया)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)

तहसील लहार

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला मिण्ड	सत्र खण्ड, मिण्ड (रौन एवं मिहोना को छोड़कर)	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतर्गत किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. तहसील लहार क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील लहार क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. तहसील लहार के क्षेत्राधिकार में आरक्षी केंद्र लहार, रावतपुरा, अरावार, दबोह व आलमपुर से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 4. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक- ए/4055/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 के अनुसार म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत राजरव जिला मिण्ड की तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 5. रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-ए/4053/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 एवं विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना एफ क्रमांक-17(ई) 83/3/इक्कीस-ब(एक) दिनांक-18.09.2010 के अनुसार तहसील लहार, रौन, मिहोना से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों (रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों को छोड़कर) से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/।।।-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)
POLICE STATION S ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL		तहसील लहार	7. एक करोड़ से अधिक रुपये तक मूल्यांकन के तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त सिविल वाद। (रौन एवं मिहोना को छोड़कर) 8. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति एवं मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां (तहसील मिहोना एवं रौन को छोड़कर) 9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 10. म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण। 11. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें। 12. म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें। 13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण 14. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 15. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र। 16. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की
LAHAR			
DABOH			
LAHAR	RAVATPURA		
ASVAR			
ALAMPUR			

			धारा-58 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र। 17. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड लहार जिला गिण्ड के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील लहार (तहसील गिहोना एवं रौन को छोड़कर) क्षेत्र के व्यवहार वादों से उत्पन्न नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलों। 18. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय लहार, क्षेत्र से संबंधित समस्त आवेदन। 19. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 20. म.प्र.पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। 21. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण। 22. गार्जियन एण्ड वार्डर्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 23. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 24. रिक्त समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण। 25. स्वयं के न्यायालय व रिक्त जिला न्यायालय लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश पर कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां। 26. रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लहार के निर्णय से उत्पन्न नियमित/विविध सिविल अपील (रौन व गिहोना क्षेत्र को छोड़कर)
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार, जिला गिण्ड	सत्र खण्ड, गिण्ड (रौन एवं गिहोना को छोड़कर) तहसील न्यायालय लहार	रिक्त न्यायालय
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद लहार	तहसील लहार, रौन, व गिहोना	1. तहसील न्यायालय क्षेत्र के पांच लाख एक रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के लहार क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल व आपराधिक प्रकरण। 5. ग्राम न्यायालय लहार द्वारा निराकृत सिविल वाद से उत्पन्न विविध सिविल वाद, निष्पादन व अन्य कार्यवाहियां।
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार रौन, गिहोना	1. ग0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 2. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलों। 3. दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 5. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 7. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, गिहोना, रौन	रिक्त न्यायालय

6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, गिहोना, रौन	रिक्त न्यायालय
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार, गिहोना, रौन	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद । 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	तहसील लहार, गिहोना, रौन	1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपए तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन । 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 4. रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न प्रवर्तन, विविध सिविल वाद तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां एवं विविध कार्यवाहियां ।

अनुसूची

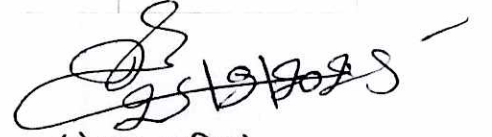
सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिण्ड
2	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	रिक्त न्यायालय		
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	रिक्त न्यायालय		
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम, 2003			
विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
विशेष न्यायालय म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981			

नोट :- यह कार्य विभाजन पत्रक, 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा।



(के.एस. बारिया)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)

तहसील मेहगांव

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सत्र खण्ड, तहसील मेहगांव	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 3. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/111-6-3/2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019) 4. तहसील मेहगांव व गोरमी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन।
		तहसील मेहगांव व गोरमी जिला निष्पट्ट	5. एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।
		POLICE STATION S ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL	6. मोटरयान अधिनियम, 1939 तथा 1988 के अंतर्गत तहसील मेहगांव गोरमी के सभी आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत वाहन दुर्घटना से उत्पन्न सभी मोटरदुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ।
	MEHGAON	MEHGAON	7. म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।
		AMAYAN	8. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।
		BHAROLI	9. म.प्र. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें।
		BARASO	10. म.प्र.विनिर्दिष्ट ग्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ।
	GORMI	GORMI	11. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।
			12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।
			13. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण।
			14. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			15. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।
			16. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र।
			17. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ।
			18. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र।
			19. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के व्यवहार वादों से उत्पन्न नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें।
			20. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894
			(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
			के अंतर्गत तहसील मेहगांव एवं गोरमी क्षेत्र से संबंधित समस्त

			आवेदन। 21. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 22. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	1. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के रुपये पांच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद एवं आवेदन पत्र। 2. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 4. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 5. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हो। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 9. तहसील न्यायालय मेहगांव में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां/विविध कार्यवाहियां।
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद। 2. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां।
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	1. तहसील मेहगांव एवं गोरमी क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	रिक्त न्यायालय

अनुसूची

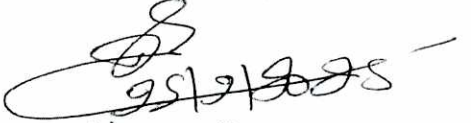
सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

<u>सारणी</u>				
क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव।
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	रिक्त न्यायालय		
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय			व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं (विशेष न्यायाधीश) मेहगांव		साप्ताहिक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

नोट :- यह कार्य विभाजन पत्रक, 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा।

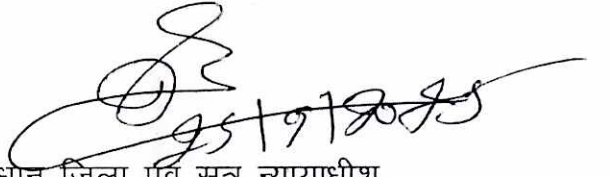
नोट :- तहसील लहार, मेहगांव, गोहद में पदस्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि उनके अवकाश पर रहने की दशा में उसी तहसील स्थापना पर उस समय उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामलों से संबंधित फाईलों पर हस्ताक्षर करेंगे।


 (के.एस. बारिया)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 भिण्ड (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 3128/सां.लि./2025
प्रतिलिपि :-

भिण्ड, दिनांक 25/09/2025

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ,
2. समस्त न्यायाधीशगण, भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव की ओर सूचनार्थ।
4. पंजीयन लिपिक, फाइलिंग काउण्टर भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव की ओर सूचनार्थ।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भिण्ड की ओर जिला न्यायालय भिण्ड की बेबसाईट पर अपलोड किए जाने एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म.प्र.)

